

**कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**  
**आदेश**

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 56 (क) एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 28.12.98 एवं दिनांक 24.05.04 एवं प12(6)/वित्त/नियम/2008 जयपुर दिनांक 24.03.15 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं	नाम कार्मिक मय कार्यरत स्थान	पद	जन्मतिथि	से.नि. तिथि
1	श्री नन्देश्वर वर्मा, कार्या. जिशिअ माध्यमिक शिक्षा, प्रतापगढ़	प्रशासनिक अधिकारी	05.05.57	31.05.2017
2	श्री गणेशलाल सालवी, कार्या. जिशिअ माशि-प्रथम, उदयपुर	प्रशासनिक अधिकारी	23.05.57	31.05.2017
3	श्री जगदीश दशौरा, कार्यालय, एस. आई.ई.आर.टी, उदयपुर	प्रशासनिक अधिकारी	16.07.57	31.07.2017
4	श्री कुलभूषण ऋषि, कार्या. निदेशक प्रा0शि0 राज0 बीकानेर	प्रशासनिक अधिकारी	24.11.57	30.11.2017
5	श्री भागचन्द्र सोनी, कार्यालय, जिशिअ मा-विधि, जयपुर	कार्या. अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05.02.57	28.02.2017
6	श्री राधा किशन किराडू, कार्या. निदेशक माशि राज. बीकानेर	कार्या. अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	22.06.57	30.06.2017
7	श्री सीताराम इल्दिया, कार्या. जिशिअ माशि-प्रथम, जयपुर	कार्या. अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	28.06.57	30.06.2017
8	श्री सुरेन्द्र दीक्षित, कार्यालय, जिशिअ माशि, चूरू	कार्या. अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	02.08.57	31.08.2017
9	श्री अमर सिंह, कार्यालय जिशिअ माशि-द्वितीय, अलवर	कार्या. अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	08.08.57	31.08.2017
10	श्री अशोक कुमार शर्मा, कार्या. जिशिअ माशि-प्रथम, अलवर	कार्या. अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	16.10.57	31.10.2017
11	श्री नन्द किशोर दवे, कार्या. जिशिअ माशि, जोधपुर	कार्या. अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	26.10.57	31.10.2017
12	श्री गणपत कुमार खारीवाल, कार्या. जिशिअ माशि-11 भीलवाडा	कार्या. अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	09.11.57	30.11.2017

**प्रारूप-6**

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारियों/प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-18 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/अधीन नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


  
(बी.एस.स्वर्णकार)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर  
दिनांक ...13/02/2017

क्रमांक: शिविरा/मा/साप्र/बी-1/3104/2013-14/386

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. संबंधित, संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग
3. संबंधित, उप निदेशक/जिशिअ (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग
4. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक/निजी गार्ड पंजिका

  
अतिरिक्त निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर